ालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

-पत्र संख्या :–189 / 2022

vs NO:- 2022/367

दायर दिनांक: 18.8.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. शोजीलाल आ0 हजारी लाल जाति मीना नि0 बोरदा ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ। (मृतक)
   1/1 आशाराम आ0 स्व0 शोजीलाल जाति मीना नि0 बोरदा ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
   1/2 दिलबर बाई पुत्री स्व0 शोजीलाल हाल पत्नी राजाराम जाति मीना नि0 गाडरिया ग्रा.प. कोलाहेडा तहसील नैनवॉ।
   1/3 मनभर बाई पुत्री स्व0 शोजीलाल हाल पत्नी रामप्रसाद जाति मीना नि0 बटावती ग्रा0प0 कैथुदा तहसील नैनवॉ।
   1/4 संतोष बाई पुत्री स्व. शोजीलाल हाल पत्नी हेमराज जाति मीना नि0 भाकर वाडी देवरिया ग्रा. प. कचरावता तहसील उनियारा।
   1/5 काली बाई पुत्री स्व. शोजीलाल हाल पत्नी आशाराम जाति मीना नि0 गाडरिया ग्रा0प0 कोलाहेडा तहसील नैनवॉ।
   1/6 बाबूडी बाई पुत्री शोजीलाल हाल पत्नी मीठालाल जाति मीना नि0 बटावती ग्रा0प0 कैथुदा तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तेजा आ0 रघुनाथ जाति मीना नि0 बोरदा ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
2. कन्हैयालाल आ0 कस्तुरा जाति मीना नि0 बोरदा ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
3. प्यारे लाल आ0 कस्तुरा जाति मीना नि0 बोरदा ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
4. गोपी आ0 बजरंगा जाति मीना नि0 बोरदा ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
5. बाबू आ0 कल्याण जाति मीना नि0 बोरदा ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
6. मदन आ0 बजरंगा जाति मीना नि0 बोरदा ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
7. मोजीराम आ0 कल्याण जाति मीना नि0 बोरदा ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
8. मोती आ0 कल्याण जाति मीना नि0 बोरदा ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
9. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ जिला बून्दी।
10. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नरेश कुमार मीना।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री सत्यनारायण लवानिया।

अप्रार्थी सं0 4 लगायत 8 की ओर से वकील श्री गोपीलाल सैनी।

निर्णय दिनांक 20.05.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बोरदा प0म0 नाहरगंज मे भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 3.4059 हैक्टयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 2.2328 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 29 रकबा 2.1034 हैक्टयर भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 27 प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की, खसरा नम्बर 29 अप्रार्थी संख्या 1 तेजा की खातेदारी एवं खसरा नम्बर 28 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 के खातेदारी की भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे जाने का एक रास्ता बोरदा से रघुनाथगंज जाने वाले रास्तें से फटकर पश्चिमी ओर खसरा नम्बर 29 व 28 की दक्षिणी कोने पर होकर खसरा नम्बर 27 पर पहुंचता है। यह रास्ता 12 फीट चौडा है जिसे परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 27 मे पहुंचने का नही है। यह रास्ता अर्वाचीन है व प्रार्थी व उसके पिता 50 वर्षो से भी अधिक समय से इसी रास्ते पर से होकर आवागमन करते है। अपने बैल गाडी, हल कुली, ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र इसी रास्ते से होकर ला रहे है ओर ले जा रहे है। इस रास्ते का सुखाधिकार प्रार्थी को प्राप्त हो चुका है।

प्रत्यार्थीगण के मन मे बदनियति आ गई इसलिए अवैध एवं अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से रास्ते को अवरूद्ध करने, प्रार्थी को आवागमन मे बाधा डालने की धमकियां दे रहे है। रोक–टोक करने और तारबंदी करने पर आमादा है। प्रार्थी मना करता है तो मारपीट पर आमादा होते है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री सत्यनारायण लवानिया द्वारा दिनांक 12.2.2024 को जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद करने बाबत् आदेशिका लिखने पर उनके द्वारा No Instruction अंकित किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 की ओर से वकील श्री गोपीलाल सैनी द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया।

पत्रावली पर पुनः बहस सूनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 27 पर जाने का कोई रास्ता रिकॉर्ड मे दर्ज नही है और जिस रास्ते से प्रार्थी आया जाया करता था वह अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 28 व 29 है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी को रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट पत्रावली मे प्राप्त हो चुकी है यदि रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ती नही होगी।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट व अन्य संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया तथा पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जाने का कोई रिकॉर्डेड रास्ता मौजुद नही है तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 27 पर जाने का प्रस्तावित प्रथम रास्ते के अतिरिक्त द्वितीय रास्ता भी प्रस्तावित किया लेकिन द्वितीय प्रस्तावित रास्ता प्रथम प्रस्तावित रास्ते से लम्बा है अथवा प्रथम प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है और ना ही इनके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मोजूद है।

अतः तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार तहसील नैनवॉ के भू.अ.निरीक्षक वृत्त बामनगांव के ग्राम बोरदा मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 27 पर आने–जाने के लिए प्रथम प्रस्तावित निकटतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 29, 48, 28 व 50 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर, नक्शा ट्रेस जिसमे प्रथम प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया जाता है जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगाः–

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x	चौडाई	क्षेत्रफल
29	तेजमल मीना (खातेदारी)	बा03	94 गट्ठा	x	2 गट्ठा	188 वर्गगट्ठा अर्थात 0.0760 हैक्टयर
48	जन्शी वगै0 (खातेदारी)	बा03	12 गट्ठा	x	1 गट्ठा	12 वर्गगट्ठा अर्थात 0.0049 हैक्टयर
28	कन्हैयालाल वगै0 (खातेदारी)	बा03	70 गट्ठा	x	1 गट्ठा	70 वर्गगट्ठा अर्थात 0.0283 हैक्टयर
50	अन्दोक वगै0 (खातेदारी)	बा03	59 गट्ठा	x	1 गट्ठा	59 वर्गगट्ठा अर्थात 0.0239 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 329 वर्गगट्ठा या 0.1331 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार प्रथम प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

[illegible] नक्शा [illegible]

ग्राम - रघुनाथगढ़

तहसील - नैनवा

जिला - बून्दी

राजस्थान

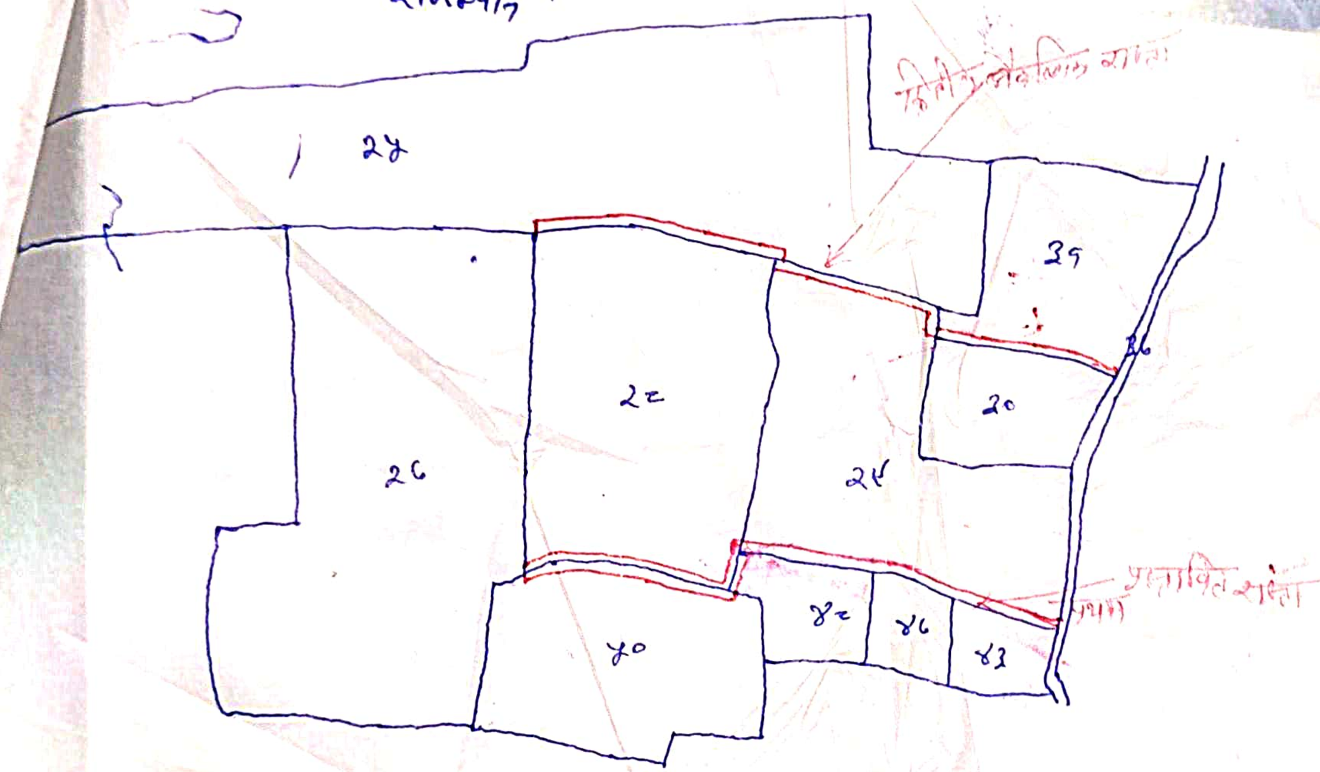

राजकार्य हेतु जारी

पटवारी

पटवार [illegible]

तह नैनवां जिला (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी

नैनवां (बून्दी)